बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–9/मेला आवंटन (समस्तीपुर)–III-03/2026–..................(9)/रा0, पटना–15, दिनांक–......................

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– समस्तीपुर जिलान्तर्गत बाबा केवल स्थान राजकीय मेला, 2025 एवं बाबा अमर सिंह स्थान मेला, 2025 के आयोजन एवं व्यवस्था तथा बाबा केवल स्थान राजकीय मेला, 2024 एवं बाबा अमर सिंह स्थान मेला, 2024 के बकाया हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि में से मो0–**50,00,000=00** (पचास लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

समस्तीपुर जिलान्तर्गत बाबा केवल स्थान राजकीय मेला, 2025 एवं बाबा अमर सिंह स्थान मेला, 2025 के आयोजन एवं व्यवस्था तथा बाबा केवल स्थान राजकीय मेला, 2024 एवं बाबा अमर सिंह स्थान मेला, 2024 के बकाया हेतु मो0–**50,00,000=00** (पचास लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत है :–

क्र0	मेला का नाम	समाहर्त्ता, बेगूसराय का पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत राशि (2025–26)
1	बाबा केवल स्थान राजकीय मेला, 2025 एवं बाबा अमर सिंह स्थान मेला, 2025	पत्रांक–212(मु0)/रा0, दिनांक–24.12.2025	30,00,000/–
2	बाबा केवल स्थान राजकीय मेला, 2024 एवं बाबा अमर सिंह स्थान मेला, 2024 (बकाया राशि)	पत्रांक–212(मु0)/रा0, दिनांक–24.12.2025	20,00,000/–
		कुल	**50,00,000=00** (पचास लाख) रूपये

2. राशि की निकासी शीर्ष–2029–भू–राजस्व–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध–0002–हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण–2701, लघु कार्य माँग सं0–40 विपत्र कोड–40–2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2025–26 में उपबंधित राशि से की जायेगी।
3. संबंधित मेले के लिए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय संबंधित मेले के आयोजन के लिए ही किया जायेगा तथा स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें ।
4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561(वी0)(2) दिनांक–17.04.98 एवं विभागीय पत्रांक–2894(9), दिनांक–07.08.2025 के आलोक में किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

5. इस राशि की निकासी CFMS 2.0 के माध्यम से आवंटन के पश्चात की जायेगी।

6. समाहर्त्ता, समस्तीपुर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्त्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जाय।

7. उक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

8. उक्त राशि का व्यय सिर्फ संबंधित मेले के आयोजन हेतु विभिन्न मदों में किया जायेगा।

9. यह राशि इस शर्त्त पर स्वीकृत एवं आवंटित की जाती है कि कोई अतिरिक्त दायित्व सृजित नहीं किया जायेगा एवं उक्त राशियों के अतिरिक्त कोई अन्य राशि आवंटित नहीं की जायेगी। साथ ही, पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र आवंटन/स्वीकृत्यादेश निर्गत तिथि के 15 दिनों के अन्दर एवं अद्यतन दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र 30 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः—9/मेला आवंटन (समस्तीपुर)—III-03/2026—480(9)/रा0, पटना—15, दिनांकः—27/02/26

फैक्स/ई—मेल ✓

प्रतिलिपि :—आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/समाहर्त्ता, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं उपकोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह) 27/02/26
सचिव।

D:\Vidyasagar secon-9\2026\MELA-Swekrityadesh _26.doc- 8